सं. 13 (32) एफएफसी/ एफसीडी/ 2015-16
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
(वित्त आयोग प्रभाग)
. . . .

ब्लॉक नंबर 11, 5वीं मंजिल,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली -110003

दिनांक: 8 अक्टूबर, 2015

सेवा में

मुख्य सचिव,
.............सरकार
(*सभी राज्य सरकारें*)

विषय:- स्थानीय निकाय (आरएलबी एवं यूएलबी) अनुदान पर **चौदहवें** वित्त आयोग (FC-XIV) की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी करने के बारे में।

महोदय,

चौदहवें वित्त आयोग की अवार्ड (पंचाट) अवधि 2015-20 के लिए अनुशंसाओं में, अन्य बातों के अलावा, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों हेतु राज्य सरकारों को अनुदान सहायता जारी करना शामिल है।

2. इस संबंध में, कृपया यहां **चौदहवें** वित्त आयोग (FC-XIV) द्वारा अनुशंसित अनुदानों को जारी एवं उपयोग करने के लिए दिशानिर्देशों की एक प्रति सूचनार्थ एवं आगे की कार्रवाई हेतु प्राप्त करें। ये दिशानिर्देश इस मंत्रालय की वेबसाइट: http://www.finmin.nic.in/FFC/guidelines.asp पर भी उपलब्ध हैं। अधोहस्ताक्षरी को **ग्रामीण स्थानीय निकायों** के लिए चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) द्वारा अनुशंसित अनुदानों को जारी करने और उनके उपयोग के लिए दिशानिर्देशों की एक प्रति सूचना और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित करने का निदेश दिया गया है।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि

(गोपाल प्रसाद)
निदेशक (एफसीडी)
दूरभाष: 011-2436 0647
फैक्स: 011-2436 0174

सूचनार्थ एवं अपेक्षित कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि:-
- (i) सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली-110001.
- (ii) सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (iii) संयुक्त सचिव (बजट अनुभाग), आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

सं. 13 (32) एफएफसी/ एफसीडी/ 2015-16
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
(वित्त आयोग प्रभाग)

....

विषय:- ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों (स्थानीय निकाय अनुदान) के लिए चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) द्वारा अनुशंसित अनुदान जारी करने एवं उनके उपयोग के लिए दिशानिर्देश

परिचय

1. चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) को राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी 2013 को गठित किया गया था और आयोग से 2015-20 के दौरान केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों के विनिर्दिष्ट पहलुओं पर अनुशंसाएं करने की अपेक्षा की गई थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 15 दिसंबर, 2014 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत की।

2. चौदहवें वित्त आयोग को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अधिदेश दिया गया कि वह संबंधित वित्त आयोगों (एसएफसी) की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति करने हेतु राज्यों की समेकित निधियों के वर्धन के लिए आवश्यक उपायों की अनुशंसा करे।

3. संवैधानिक उपबंधों के अनुसार, राष्ट्रपति को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में चौदहवें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई के संदर्भ में स्पष्टीकारक ज्ञापन 24 फरवरी, 2015 को संसद के पटल पर प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार ने स्थानीय निकायों के संदर्भ में चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है।

अनुशंसित अनुदान

4. चौदहवें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए आश्वस्त निधियों के हस्तांतरणों की अनुशंसा की है ताकि वे संबद्ध विधायनों व कानूनों के तहत उन्हें सौंपे गए कार्यों के भीतर मूलभूत सेवाओं की योजना बना सकें और सेवाओं को सहज एवं प्रभावकारी रूप से उपलब्ध करा सकें। आयोग ने यह निर्णय लिया है कि स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों सहित अनुशंसित अनुदान स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करने में उनके प्राथमिक कार्यों में सहायता एवं मजबूती प्रदान करने के लिए दिए जाने चाहिए, क्योंकि मूलभूत सेवाओं की गुणवत्ता में सुधारों से नागरिकों द्वारा तथाकथित सेवाओं के लिए पैसा खर्च करने की इच्छा बढ़ जाएगी। अतएव, यह सलाह दी जाती है कि राज्य कानूनों के तहत स्थानीय निकायों को अंतरित किए गए कार्यों के भीतर मूलभूत सेवाओं पर, पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा व्यय को पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा राज्य में लागू संबद्ध नियमों, विनियमों, प्रक्रियाओं तथा कार्यविधियों के अनुसार तैयार की गई योजनाओं के बाद ही खर्च किया जा सकेगा।

5. चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-20 की अवार्ड अवधि के लिए 2,87,437 करोड़ रुपये का कुल अनुदान आकलित किया है। इसमें से, पंचायतों के लिए अनुशंसित अनुदान 2,00,292.20 करोड़ रुपये है,

जबकि नगरपालिकाओं के लिए यह 87,143.80 करोड़ रुपये है। अनुशंसित अनुदान सहायता अवार्ड अवधि के लिए नियत है। वर्ष-वार एवं राज्य-वार वितरण ***अनुलग्नक-I*** एवं ***II*** में दर्शाया गया है।

अनुदान घटक

6. चौदहवें वित्त आयोग ने विधिवत रूप से गठित पंचायतों (ग्रामीण स्थानीय निकाय) और नगरपालिकाएं (शहरी स्थानीय निकाय) के लिए अनुदान सहायता दो भागों में अनुशंसित की है, अर्थात - (i) **बुनियादी अनुदान** और (ii) **निष्पादन अनुदान**। ग्राम पंचायतों के मामले में, 90% अनुदान बुनियादी अनुदान होगा, जबकि 10% निष्पादन अनुदान होगा। नगरपालिकाओं के संबंध में, बुनियादी एवं निष्पादन अनुदान के बीच विभाजन 80:20 आधार पर होगा। इन अनुदानों के लिए राज्यों की हिस्सेदारियों को **अनुलग्नक-I** एवं **II** में दर्शाया गया है।

> ***नोट:*** *विधिवत रूप से गठित पंचायत या नगरपालिकाओं से अभिप्राय ऐसी पंचायत या नगरपालिका, जैसा भी मामला हो, से है जहाँ चुनाव कराए गए हैं और निर्वाचित निकाय स्थापित किए गए हैं, जैसा कि संविधान के भाग-IX एवं IX में उपबंध किया गया है।*

बुनियादी अनुदान

7. चौदहवें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों (जीपी) एवं नगरपालिकाओं द्वारा मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शर्तरहित आर्थिक सहायता के मापदंड को उपलब्ध कराने के प्रयोजन हेतु स्थानीय निकायों के लिए बुनियादी अनुदान की अनुशंसा की है। इन अनुदानों का उपयोग जल आपूर्ति, स्वच्छता, सेप्टिक प्रबंधन, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तूफानी जल निकासी, सामुदायिक परिसंपत्तियों के रखरखाव, सड़कों, पैदल पथों, स्ट्रीट-लाइटिंग, कब्रिस्तान और श्मशान घाटों के रखरखाव और पंचायतों को सौंपे गए कार्यों के भीतर कोई अन्य मूलभूत सेवा के रखरखाव सहित मूलभूत नागरिक सेवाओं की प्रदायगी व्यवस्था को प्रश्रय एवं सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा। एफएफसी ने मूलभूत सेवाओं के घटकों के भीतर ओ एंड एम और पूँजीगत व्यय के बीच अंतर नहीं किया है। तथापि, यह सलाह दी जाती है कि ओ एंड एम और पूँजीगत व्यय के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सहायता की लागत किसी भी परिस्थिति में ग्राम पंचायत या नगरपालिका को किए गए आवंटन के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए और व्यय केवल संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किया जा सकता है।

8. इस बात पर जोर दिया जाता है कि उपरोक्त पैरा 7 में दी गई मूलभूत सेवाओं को छोड़कर, एफएफसी अनुदान से कोई व्यय नहीं किया जाएगा।

ग्रामीण स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायतें) के लिए बुनियादी अनुदान

9. चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-20 की अवधि के लिए ग्राम पंचायतों हेतु 1,80,262.96 करोड़ रुपये की अनुशंसा की है। बुनियादी अनुदान का राज्य-वार और वर्ष-वार वितरण ***अनुबंध-I*** में है। केंद्र द्वारा जारी अनुदान को अन्य स्तरों के लिए कोई हिस्सा दिए बिना केवल ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किया

जाना चाहिए। बुनियादी अनुदान को संसाधनों के वितरण के लिए संबंधित एसएफसी द्वारा निर्धारित फॉर्मूला पीआर का प्रयोग करके वितरित किया जाएगा। तथापि, यदि एसएफसी फॉर्मूला उपलब्ध नहीं है, तो उपरोक्त में वर्णित प्रत्येक ग्राम पंचायत की हिस्सेदारी को सभी इकाइयों के बीच 2011 की जनसंख्या के लिए 90 के भारांक तथा क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत के भारांक के साथ वितरित किया जाना चाहिए।

शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों सहित नगरपालिकाएं) के लिए बुनियादी अनुदान

10. एफएफसी ने नगरपालिकाओं हेतु 2015-20 की अवधि के लिए 69,715.03 करोड़ रुपये के बुनियादी अनुदान की सिफारिश की है। बुनियादी अनुदान का राज्य-वार एवं वर्ष-वार वितरण ***अनुबंध-I*** में दर्शाया गया है। शहरी स्थानीय निकायों के लिए बुनियादी अनुदान टीयर-वार हिस्सेदारियों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक स्तर, नामत: नगर निगमों, नगरपालिकाओं (टीयर-II शहरी स्थानीय निकाय) और नगर पंचायत (स्तर-III स्थानीय निकाय) में संबंधित एसएफसी द्वारा दिए गए फार्मूले का प्रयोग करते हुए वितरित किया जाएगा। यदि शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में एसएफसी फार्मूला उपलब्ध नहीं है, तो तीनों स्तरों में से प्रत्येक का हिस्सा, 2011 की जनसंख्या के आधार पर 90 प्रति के भारांक के साथ तथा और क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत के भारांक के साथ निर्धारित किया जाएगा तथा उसके बाद 2011 की जनसंख्या और क्षेत्रफल के 90:10 के अनुपात में प्रत्येक स्तर की संस्थाओं के बीच वितरित किया गया।

निष्पादन अनुदान

11. एफएफसी ने पाया कि "बीस वर्षों से अधिक समय हो गया है जब संविधान में संशोधन के माध्यम से नगरपालिकाओं और पंचायतों को स्थानीय स्वशासन के संस्थानों के रूप में कार्य करने और नागरिकों को कतिपय मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने की मांग की गई थी।" यह अकल्पनीय है, और निश्चित रूप से वांछनीय नहीं है कि स्थानीय निकाय सार्वजनिक धन का लगातार बढ़ता हिस्सा चाहते हैं, और अपने पास उपलब्ध जनता के धन के बारे में खुद को जवाबदेही एवं जिम्मेदारी के दायरे से परे भी रखते हैं। आयोग ने यह उल्लेख किया है कि उचित लेखा वित्तीय जवाबदेही के लिए प्रारंभिक बिंदु (starting point) हैं। वार्षिक लेखाओं को कायम नहीं करने या उनका विलंबित संकलन करने का अर्थ यह है जवाबदेही से समझौता करना, जिसका तात्पर्य यह है कि स्थानीय निकायों के लिए संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण करने हेतु विश्वसनीय वित्तीय डेटा उपलब्ध नहीं है।

आयोग ने यह भी नोट किया कि पिछले वित्त आयोगों के प्रयासों के कारण, सीएजी के तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन के तहत लेखाओं को कायम रखने एवं लेखापरीक्षा करवाने को लेकर प्रगति देखी जा रही है, लेकिन इस संबंध में और अधिक प्रगति की आवश्यकता है। तदनुसार, आयोग का मानना है कि लेखाओं के अनुरक्षण, उनकी लेखापरीक्षा और प्रकटीकरण में सुधार के लिए पिछले वित्त आयोगों द्वारा शुरु किए गए प्रयासों को जारी रखना आवश्यक है। निष्पादन अनुदान को विश्वसनीय लेखापरीक्षित लेखाओं और प्राप्तियों एवं व्यय के डेटा को सुनिश्चित करने तथा स्वयं के राजस्वों में सुधार लाने के उद्देश्य से अनुशंसित किया गया है। इससे डेटा के संकलन के लिए आधारभूत स्तर पर कार्रवाई करने में

सहायता मिलेगी जिससे सभी हितधारकों को निर्णय लेने हेतु विश्वसनीय सूचना तक पहुंच प्राप्त हो पाएगी तथा जनता के प्रति स्थानीय सरकारी संस्थानों की जवाबदेही बढ़ेगी।

12. एफएफसी ने 2015-20 की अवधि हेतु ग्राम पंचायतों के लिए 20,029.22 करोड़ रुपये और नगरपालिकाओं के लिए 17,428.76 करोड़ रुपये के निष्पादन अनुदान की सिफारिश की है, जैसा कि ***अनुबंध II*** में दिया गया है। निष्पादन अनुदान निम्नलिखित मुद्दों को हल करने के लिए हैं: (i) लेखा-परीक्षित लेखाओं के माध्यम से स्थानीय निकायों के प्राप्ति और व्यय पर विश्वसनीय डेटा उपलब्ध कराना; और (ii) स्वयं के राजस्वों में वृद्धि करना। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए सेवा स्तर के बेंचमार्क का माप-निर्धारण एवं प्रकाशित करना होगा। ये अनुदान अवार्ड अवधि के दूसरे वर्ष से वितरित किया जाना है अर्थात, 2016-17 से, ताकि राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को इन अनुदानों से जुड़े दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए योजना एवं क्रियाविधि बनाने में पर्याप्त समय मिल सके।

निष्पादन अनुदान हेतु पात्रता

13. एफएफसी ने सिफारिश की है कि ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को निष्पादन अनुदान के संवितरण के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के परिणाम सहित विस्तृत कार्यविधि एवं परिचालन मानदंड, संबंधित राज्य सरकार द्वारा नीचे वर्णित पात्रता शर्तों के अधीन निर्धारित किया जाएगा।

ग्राम पंचायत (जीपी) के लिए:

(i) ग्राम पंचायतों को लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करने होंगे जो उस वर्ष जिसमें ग्राम पंचायतें निष्पादन अनुदान का दावा करना चाहती हैं से दो पूर्ववर्ती वर्ष से पहले से संबंधित न हों ।

(ii) ग्राम पंचायतों को पिछले वर्ष की तुलना में अपने राजस्वों में वृद्धि दिखानी होगी, जो कि उनके लेखापरीक्षित लेखाओं से परिलक्षित हो।

नगरपालिकाओं के लिए:

(i) नगरपालिका को लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करने होंगे जो उस वर्ष जिसमें नगरपालिकाएं निष्पादन अनुदान का दावा करना चाहती हैं, से दो पूर्ववर्ती वर्ष से पहले से संबंधित न हों।

(ii) नगरपालिका को पिछले वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में वृद्धि दिखानी होगी जैसा कि उनकी लेखापरीक्षित लेखाओं में देखा जा सकता हो। राजस्वों में सुधार इन लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर अवधारित किया जाएगा, न कि किसी अन्य आधार पर। किसी वर्ष-विशेष में स्वयं के राजस्व में वृद्धि का संगणन करने के लिए, चुंगी और प्रवेश कर से प्राप्त आय को बाहर रखा जाना चाहिए।

(iii) नगरपालिका को मूलभूत शहरी सेवाओं से संबंधित सेवा स्तर बेंचमार्कों का माप-निर्धारण अवार्ड अवधि के प्रत्येक वर्ष करना होगा एवं उसे प्रकाशित करना होगा तथा सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध

कराना होगा। इस प्रयोजनार्थ, शहरी विकास मंत्रालय के सेवा स्तर बेंचमार्क का प्रयोग किया जा सकता है।

नोट: *निष्पादन अनुदान के लिए ग्राम पंचायत या नगरपालिका (नगरनिगम, नगर परिषदें और नगर पंचायतें सहित) की पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ, 2016-17 में निष्पादन अनुदान के लिए आवश्यक लेखापरीक्षित लेखा वर्ष 2014-15 के होंगे; 2017-18 में निष्पादन अनुदान के लिए लेखापरीक्षित लेखा वर्ष 2015-16 के होंगे; 2018-19 में निष्पादन अनुदान के लिए लेखापरीक्षित लेखा वर्ष 2016-17 के होंगे और 2019-20 में निष्पादन अनुदान के लिए लेखापरीक्षित लेखा वर्ष 2017-18 के होंगे।*

14. इस संबंध में, एफएफसी ने सिफारिश की है कि स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई लेखा-बहियों (books of accounts) में स्वयं के करों और गैर-करों, सौंपे गए करों, राज्य से अनुदान एवं अंतरण, वित्त आयोग से अनुदान तथा संघ सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा सौंपे गए एजेंसी कार्यों के लिए अनुदान अलग एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए जाने चाहिए। उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार को सी एंड एजी द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन की व्यवस्था जारी रखनी चाहिए और राज्यों को स्थानीय निकायों द्वारा लेखाओं को संकलित करने और उनकी लेखापरीक्षा कराने में सुविधा प्रदान करने हेतु कार्रवाई करनी चाहिए। तदनुसार, राज्य सरकारों द्वारा इन सुविधाओं को ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं (नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों सहित) के लिए निष्पादन अनुदान प्राप्त करने हेतु कार्यविधियों एवं परिचालनीय दिशानिर्देशों में इन अपेक्षाओं को समावेशित करके उपरोक्त सिफारिशों की सुनिश्चिता करनी चाहिए।

असंवितरित निष्पादन अनुदानों का वितरण

15. यदि ग्राम पंचायतों या नगरपालिकाओं (जैसा भी मामला हो) के बीच समान आधार पर संवितरण के उपरांत निष्पादन अनुदान की कुछ राशि शेष बच जाती है तो, कथित असंवितरित राशि उन सभी पात्र ग्राम पंचायतों या नगरपालिकाओं (जैसा भी मामला हो) के बीच बराबर आधार पर वितरित की जानी चाहिए जिन्होंने निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए शर्तों को पूरा किया है।

अनुदान जारी करना

16. अनुदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के जून और अक्टूबर में दो किस्तों में जारी किए जाएंगे। जबकि वर्ष के लिए बुनियादी अनुदान का 50 प्रतिशत राज्य को वर्ष की पहली किस्त के रूप में जारी किया जाएगा, शेष बुनियादी अनुदान और तथाकथित वर्ष के लिए पूर्ण निष्पादन अनुदान की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। तथापि, निष्पादन अनुदान 2016-17 से जारी किया जाएगा, जैसा कि एफएफसी द्वारा अनुशंसित किया गया है और ऊपर पैरा 11-12 में उल्लेख किया गया है।

17. राज्यों को संघ सरकार द्वारा उनके खाते में अनुदान जमा कराने के पंद्रह दिनों के भीतर ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को जारी करने चाहिए। स्थानीय निकायों को देय अनुदानों से स्रोत पर

कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए। देरी के मामले में, राज्य सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंक ब्याज दर के साथ अपने स्वयं की निधि से ब्याज के साथ किस्त जारी करनी होगी और इसका प्रमाणन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) में दर्शाना होगा। अनुदानों (बुनियादी और निष्पादन, दोनों) की दूसरी एवं अगली किस्तें ***अनुलग्नक-III*** में दिए गए प्रारूप में विहित पिछली किस्त के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन जारी की जाएगी।

18. अक्टूबर 2016 (वित्तीय वर्ष 2016-17) में जारी किया जाने वाला देय निष्पादन अनुदान तभी जारी करने पर विचार किया जाएगा जब ऊपर पैरा 12-13 में वर्णित कार्यविधियों और परिचालन मानदंड के बारे में राज्यों द्वारा विधिवत अनुपालन की सूचना प्राप्त हो जाएगी।

अनुदान जारी करने के तौर-तरीके

19. एफएफसी कि सिफारिशें कि इन अनुदानों को जारी करने के लिए उनके द्वारा अनुशंसित शर्तों या निदेशों के अलावा, संघ सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य अतिरिक्त शर्तें नहीं लगाने या कोई निदेश नहीं देने की बात को पुन: दोहराया जाता है। तथापि, वित्तीय नियमों और जवाबदेही की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने के लिए निम्नलिखित पूर्वापेक्षाओं का पालन किया जाना है।

i. वर्ष 2015-16 के लिए विधिवत रूप से गठित ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं, दोनों के लिए बुनियादी अनुदान की पहली किस्त जून, 2015 में बिना शर्त जारी की जाएगी। विधिवत रूप से गठित स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की आगे की किस्तें ***अनुबंध-III*** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में पिछली किस्त के लिए यूसी प्राप्त होने के बाद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में वित्त आयोग प्रभाग द्वारा जारी की जाएंगी।

ii. राज्यों को उपरोक्त पैरा 11-13 में वर्णित मापदंडों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए निष्पादन अनुदान (दिए जाने वाले प्रोत्साहन का परिमाण और परिचालन मानदंड सहित) के संवितरण के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार करनी होगी। निष्पादन अनुदान के वितरण की योजना राज्य सरकारों द्वारा मार्च 2016 तक अधिसूचित की जाएगी, ताकि इन अनुदानों के लिए पात्र स्थानीय निकायों की पात्रता सूची तैयार की जा सके। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों अर्थात, शहरी विकास मंत्रालय (शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में), पंचायत राज मंत्रालय (ग्राम पंचायतों के संबंध में) और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (वित्त आयोग प्रभाग) को भी राज्य सरकार द्वारा सूचित किया जाएगा ताकि निष्पादन अनुदान की किस्त जारी करने में सुविधा प्रदान की जा सके।

iii. वर्ष 2016-17 से ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों के लिए निष्पादन अनुदान अक्टूबर, 2016 में जारी किया जाएगा, बशर्ते कि राज्य सरकारों से निष्पादन अनुदान के उपयोग के लिए योजना प्राप्त कर ली गई हो।

iv. वर्ष 2015-16 के लिए निष्पादन अनुदान व्यय विभाग द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी किया जाएगा, परंतु इससे पहले पंचायती राज मंत्रालय/शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यह सत्यापन किया जाना होगा कि इस संबंध में अंतिम रूप दी गई योजना राज्यों से प्राप्त हो गई है और वह एफएफसी की सिफारिशों के अनुरूप है। अवार्ड अवधि के बाद के वर्षों के लिए निष्पादन अनुदान पंचायती राज मंत्रालय/शहरी विकास मंत्रालय तथा व्यय विभाग को यूसी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद दूसरी किस्त जारी करने के साथ तथा इसके अलावा इस संबंध में पंचायती राज मंत्रालय/शहरी विकास मंत्रालय से किस्त जारी करने के बारे में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद जारी की जाएगी।

बजट प्रावधान

20. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) मांग संख्या 37 में बजट प्रावधान करेगा और पात्र राज्यों को अनुदान जारी करेगा।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

21. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) जारी किए गए एवं हस्तांतरित किए गए सहायता अनुदान की लेखापरीक्षा करेगा। सीएजी तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता के अनुसार चयनित पंचायतों और नगरपालिकाओं में व्यय की भी लेखापरीक्षा कर सकता है।

मॉनिटरिंग एवं समवर्ती मूल्यांकन

22. एफएफसी ने सिफारिश की है कि निधियां जारी करने के लिए उसके द्वारा अनुशंसित शर्तों या निदेशों के अलावा, संघ या राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त शर्तें या निर्देश अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए। एफएफसी द्वारा अपनाए गए विश्वास-आधारित दृष्टिकोण का केंद्रबिंदु यह अपेक्षा करता है कि स्थानीय निकाय अपने वैधानिक कार्यों को पूरी सतर्कता के साथ निष्पादित करेंगे। सेवा स्तर डेटा का प्रकाशन और लेखाओं को तैयार करना तथा उनकी लेखापरीक्षा इस संबंध में आवश्यक पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। तथापि, एफएफसी ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 9.82 के माध्यम से यह सिफारिश की है कि यदि निधियों के उपयोग में अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपयुक्त तृतीय पक्षकार लेखा तंत्र मार्च, 2017 तक स्थापित किया जाना चाहिए।

23. राज्य सरकारें एफएफसी द्वारा उजागर किए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए राज्य-विशिष्ट, समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करेंगी जिसके लिए राज्य पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) और शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। राज्य अनुदान प्राप्त करने वाले स्थानीय निकायों की निगरानी और समवर्ती मूल्यांकन करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन कर सकते हैं, जिसमें वित्त सचिव और अन्य संबंधित विभागीय सचिव शामिल होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियों का उपयोग एफएफसी द्वारा अनुशंसित प्रयोजन के लिए किया जा रहा है।

24. संघ सरकार के स्तर पर दो समितियों का गठन किया जा रहा है, यानी पंचायत राज मंत्रालय और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत एक-एक समिति। ये समितियां एफएफसी की निम्न सिफारिशों को लागू करने पर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करेंगी।

i. एसएफसी को सशक्त बनाना, जिसमें उनका समय पर गठन, उचित प्रशासनिक सहायता एवं सहज कामकाज के लिए पर्याप्त संसाधनों तथा की गई कार्रवाई नोट्स के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष एसएफसी रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत करना शामिल है।

ii. संबंधित एसएफसी और एफएफसी द्वारा अनुशंसित कदम उठाकर स्थानीय निकायों के अपने स्वयं के स्रोतों से राजस्व संग्रहों में सुधार लाना।

iii. संपत्ति कर सुधार सुनिश्चित करने के साथ उसके आधार का वस्तुनिठ निर्धारण करना तथा मुद्रास्फीति को समायोजित करने के लिए उसमें नियमित संशोधित करना, निर्धारण के लिए क्रियाविधियों व तंत्रों को सशक्त बनाना, कर लागाना एवं उसकी उगाही करना तथा बिलिंग एवं संग्रह दक्षता में सुधार लाना; संपत्ति कर को लगाने हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए विद्यमान नियमों की समीक्षा एवं परिवर्धन करना और रियायतों को कम करना; प्रत्येक चार या पांच वर्षों में संपत्तियों का निर्धारण करना; और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्व-निर्धारण की प्रणाली शुरु करना।

iv. नगरपालिकाओं, राज्य और संघ सरकारों के बीच संपत्ति कर के संबंध में सूचना साझा करने हेतु राज्यों द्वारा कार्रवाई करनी होगी।

v. अर्द्ध-शहरी पंचायतों द्वारा खाली भूमि पर कर लागना तथा राज्य सरकारों द्वारा नगरपालिकाओं और पंचायतों के साथ भूमि परिवर्तन शुल्कों/प्रभारों के एक भाग को साझा करना।

vi. स्थानीय निकायों को समुन्नति कर (betterment tax) और विज्ञापन कर लगाने हेतु सशक्त बनाने के लिए कदम उठाना।

vii. मनोरंजन कर की संरचना की समीक्षा करना तथा मंनोरंजन के और अधिक एवं नव रूपों को कवर करने हेतु उसका विस्तार करना।

viii. राज्यों द्वारा उपयोगी स्थानीय परिसंपत्तियां पंचायतों को सौंपना, कर संग्रह करने के लिए विधिसम्मत नियम लागू करना और प्रणालियां स्थापित करना ताकि वे कॉमन संसाधनों को पट्टा या किराए पर देकर सर्वोत्तम लाभ प्राप्त कर सकें।

ix. सेवा शुल्कों का युक्तिकरण इस तरीके से करना कि वे लाभार्थियों से कम से कम परिचालन एवं रखरखाव की लागत की वसूली करने में सक्षम हों।

x. खदानों से प्राप्त रॉयल्टी आय को उन स्थानीय निकाय के साथ साझा करना जिनके अधिकारक्षेत्र के तहत खनन किया जा रहा है ताकि स्थानीय निकाय को स्थानीय आबादी पर खनन के प्रभावों से निज़ात पाने में सहायता मिल सके।

xi. स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जा रही नागरिक सेवाओं के लिए उन्हें इस संबंध में उपयुक्त कानून पारित करने सहित भरपाई के तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान करना।

xii. स्थानीय निकायों को यथा उपयुक्त आवश्यक कानूनों के माध्यम से कर एवं गैर-कर प्राप्तियों की उगाही करने की शक्ति देना। कुछ राज्यों में, राज्य सरकारों को नियम बनाने होंगे तथा कर की दरें नियत करनी होंगी ताकि स्थानीय निकायों को मौजूदा राजस्व स्रोतों का प्रभावकारी रूप से दोहन करने में सुविधि प्राप्त हो। इसके विपरीत, स्थानीय निकायों को शक्तियां दी जाएं कि वे दरें राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम दर के अधीन स्वयं तय करें। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा कर एवं गैर-कर उगाहियों से कोई भी ऐसी इकाई व संस्था को रियायतें/छूट नहीं दी जानी चाहिए जो स्थानीय निकायों के अधिकारक्षेत्र के तहत आती हैं। ऐसे मामलों में, जहाँ इस प्रकार की छूट व रियायत देना जरूरी समझा जाता है, तब स्थानीय निकायों की इस हानि की भरपाई दी जानी चाहिए।

xiii. संघ सरकार की उचित सहायता के साथ वित्त के स्रोत के रूप में नगरपालिका बंधपत्र निर्गम करने की खोज करना। राज्य बड़े नगर निगमों को सीधे बाजारों में उतरने की अनुमति दी जानी चाहिए और मध्यम एवं लघु नगरपालिकाओं, जिनके पास सीधे बाजारों मे उतरने की क्षमता नहीं है, को सहायता प्रदान करने हेतु एक मध्यवर्ती (intermediary) स्थापित किया जा सकता है।

समितियों का गठन अनुलग्नक IV एवं V में दिया गया है। राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली समितियों के मुख्य विचारार्थ विषय निम्नवत होंगे:

i. ऐसे उपायों का सुझाव देना जिनसे स्थानीय निकायों के संबंध में 14वें वित्त आयोग की सभी अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने में सुविधा प्राप्त हो।

ii. परिचालन संबंधी मुद्दों का समाधान करना जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा समितियों के संज्ञान में लाया जाता है।

iii. केंद्रीय स्तर पर अंतर-मंत्री समन्वय में सुविधा प्रदान करना।

iv. स्थानीय निकायों द्वारा अनुदानों के व्यय की प्रगति की मॉनीटरिंग करना तथा यथाआवश्यकता उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना।

(गोपाल प्रसाद)
निदेशक (एफसीडी)
दूरभाष: 011-2436 0647
फैक्स: 011-2436 0174

		स्थानीय निकायों को अनुदान										**अनुलग्नक-I**	
		राज्य-वार हिस्सेदारी - बुनियादी अनुदान										**(रु. करोड़ में)**	
		ग्रामीण स्थानीय निकाय						**शहरी स्थानीय निकाय**					
क्र. सं.	**राज्य**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2015-20**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2015-20**
1.	आंध्र प्रदेश	934.34	1293.75	1494.81	1729.23	2336.56	7788.68	348.92	483.14	558.23	645.77	872.57	2908.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	88.52	122.58	141.62	163.83	221.38	737.93	23.42	32.43	37.47	43.34	58.56	195.22
3.	असम	584.80	809.76	935.60	1082.32	1462.45	4874.92	93.14	128.97	149.01	172.38	232.92	776.43
4.	बिहार	2269.18	3142.08	3630.39	4199.71	5674.70	18916.05	256.83	355.63	410.90	475.34	642.28	2140.99
5.	छत्तीसगढ़	566.18	783.98	905.81	1047.86	1415.89	4719.72	152.39	211.01	243.80	282.04	381.09	1270.33
6.	गोवा	14.44	20.00	23.10	26.73	36.12	120.39	21.10	29.21	33.76	39.05	52.76	175.88
7.	गुजरात	932.25	1290.86	1491.47	1725.36	2331.33	7771.26	614.91	851.45	983.77	1138.05	1537.74	5125.91
8.	हरियाणा	419.28	580.57	670.80	775.99	1048.53	3495.17	199.61	276.39	319.35		499.18	1663.95
9.	हिमाचल प्रदेश	195.39	270.56	312.60	361.63	488.64	1628.82	19.36	26.81	30.98	35.84	48.42	161.42
10.	जम्मू एवं कश्मीर	373.96	517.81	598.29	692.11	935.19	3117.36	125.30	173.50	200.46	231.90	313.35	1044.51
11.	झारखंड	652.83	903.96	1044.45	1208.24	1632.59	5442.07	183.74	254.42	293.95	340.05	459.48	1531.64
12.	कर्नाटक	1002.85	1388.62	1604.42	1856.02	2507.88	8359.79	562.08	778.29	899.25	1040.27	1405.62	4685.50
13.	केरल	433.76	600.62	693.96	802.78	1084.73	3615.85	351.66	486.94	562.61	650.84	879.42	2931.48
14.	मध्य प्रदेश	1463.61	2026.62	2341.57	2708.78	3660.14	12200.72	496.79	687.89	794.80	919.44	1242.36	4141.27
15.	महाराष्ट्र	1623.32	2247.77	2597.10	3004.37	4059.55	13532.11	1191.24	1649.49	1905.83	2204.70	2979.02	9930.29
16.	मणिपुर	22.25	30.80	33.59	41.17	55.63	185.44	16.57	22.95	26.52	30.67	41.45	138.16
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	4.19	4.84	5.60	7.57	25.22
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54	15.97	18.46	21.35	28.85	96.17
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23	16.94	19.57	22.64	30.59	101.98
20.	ओडिशा	955.52	1323.09	1528.71	1768.44	2389.54	7965.28	170.10	235.54	272.14	314.82	425.39	1417.98
21.	पंजाब	441.70	611.61	706.66	817.48	1104.58	3682.02	235.41	325.96	376.62	435.68	588.69	1962.35
22.	राजस्थान	1471.95	2038.17	2354.92	2724.22	3681.01	12270.27	433.12	599.73	692.93	801.60	1083.13	3610.50
23.	सिक्किम	16.03	22.20	25.65	29.67	40.09	133.64	4.79	6.63	7.66	8.86	11.98	39.92
24.	तमिलनाडु	947.65	1312.19	1516.12	1753.87	2369.86	7899.69	790.04	1093.95	1263.96	1462.18	1975.71	6585.85
25.	तेलंगाना	580.34	803.58	928.47	1074.07	1451.30	4837.57	325.23	450.33	520.32	601.92	813.32	2711.12
26.	त्रिपुरा	36.24	50.18	57.98	67.07	90.63	302.11	21.41	29.65	34.25	39.63	53.54	178.48
27.	उत्तर प्रदेश	3862.60	5348.45	6179.65	7148.74	9659.47	32198.90	983.0	1361.97	1573.63	1820.41	2459.76	8199.37
28.	उत्तराखंड	203.26	281.45	325.19	376.19	508.31	1694.42	78.29	108.41	125.26	144.90	195.79	652.66
29.	पश्चिम बंगाल	1532.21	2121.61	2451.33	2835.75	3831.70	12772.60	637.21	882.33	1019.45	1179.32	1593.51	5311.81
	कुल	21624.46	29942.87	34596.26	40021.63	54077.80	180262.96	8363.06	11580.12	13379.78	15108.59	20914.05	69715.03

क्र. सं.	**राज्य**	**स्थानीय निकायों को अनुदान**									**अनुलग्नक-II**
		राज्य-वार हिस्सेदारी - निष्पादन अनुदान									**(रु. करोड में)**
		ग्रामीण स्थानीय निकाय					**शहरी स्थानीय निकाय**				
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2016-20**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2016-20**
1.	आंध्र प्रदेश	169.70	192.04	218.09	285.57	865.41	142.59	161.36	183.25	239.95	727.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.08	18.20	20.66	27.06	81.99	9.57	10.83	12.30	16.10	48.81
3.	असम	106.22	120.20	136.50	178.74	541.66	38.06	43.07	48.92	64.05	194.11
4.	बिहार	412.15	466.41	529.67	693.55	2101.78	104.96	118.78	134.89	176.62	535.25
5.	छत्तीसगढ़	102.84	116.37	132.16	173.05	524.41	62.28	70.47	80.03	104.80	317.58
6.	गोवा	2.62	2.97	3.37	4.41	13.38	8.62	9.76	11.08	14.51	43.97
7.	गुजरात	169.32	191.61	217.60	284.93	863.47	251.29	284.37	322.94	422.87	1281.48
8.	हरियाणा	76.15	86.18	97.87	128.15	388.35	81.57	92.31	104.83	137.27	415.99
9.	हिमाचल प्रदेश	35.49	40.16	45.61	59.72	180.98	7.91	8.95	10.17	13.32	40.35
10.	जम्मू एवं कश्मीर	67.92	76.86	87.29	114.30	346.37	SJ .21	57.95	65.81	86.17	261.13
11.	झारखंड	118.57	134.18	152.38	199.53	604.67	75.09	84.97	96.50	126.35	382.91
12.	कर्नाटक	182.15	206.13	234.08	306.51	928.87	229.70	259.94	295.20	386.54	1171.38
13.	केरल	78.78	89.16	101.25	132.57	401.76	143.71	162.63	184.69	241.83	732.87
14.	मध्य प्रदेश	265.84	300.83	341.63	447.34	1355.64	203.02	229.75	260.91	341.64	1035.32
15.	महाराष्ट्र	294.84	333.66	378.91	496.15	1503.57	486.82	550.91	625.63	819.21	2482.57
16.	मणिपुर	4.04	4.57	5.19	6.80	20.60	6.77	7.66	8.70	11.40	34.54
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	1.40	1.59	2.08	6.30
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	5.34	6.06	7.93	24.04
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.66	6.43	**8.41**	25.50
20.	ओडिशा	173.55	196.40	223.04	292.05	885.03	69.52	78.67	89.34	116.98	354.50
21.	पंजाब	80.23	90.79	103.10	135.00	409.11	96.20	108.87	123.63	161.89	490.59
22.	राजस्थान	267.35	302.55	343.58	449.89	1363.36	177.00	200.30	2.27.47	297.85	902.62
23.	सिक्किम	2.91	3.30	3.74	4.90	14.85	1.96	2.21	2.52	3.29	9.98
24.	तमिलनाडु	172.12	194.78	221.20	289.64	877.74	322.87	365.37	414.92	543.31	1646.46
25.	तेलंगाना	105.41	119.28	135.46	177.38	537.53	132.91	150.41	170.81	223.66	677.78
26.	त्रिपुरा	6.58	7.45	8.46	11.08	33.57	8.75	9.90	11.24	14.72	44.62
27.	उत्तर प्रदेश	701.57	793.92	901.60	1180.57	3577.66	401.97	454.88	516.58	676.42	2049.84
28.	उत्तराखंड	36.92	41.78	47.45	62.13	188.27	32.00	36.21	41.12	53.84	163.17
29.	पश्चिम बंगाल	278.30	314.93	357.64	468.31	1419.18	260.41	294.69	334.66	438.20	1327.95
	कुल	3927.65	4444.71	5047.53	6609.33	20029.21	3417.71	3867.62	4392.22	5751.21	17428.77

अनुलग्नक-III

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अपनी अवार्ड अवधि 2015-2020 के दौरान अनुशंसित ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्राप्त अनुदान का उपयोग प्रमाण-पत्र

राज्य का नाम:-
ग्रामीण स्थानी निकाय/शहरी स्थानीय निकाय (*1)

1.	क्या पीआरआई/यूएलबी के चुनाव कराए गए हैं ? (हाँ/ नहीं)						
2.	राज्य में ग्राम पंचायतों/यूएलबी निकायों की कुल सं.		टिप्पणी (यदि कोई हो):-				
3.	ग्राम पंचायतों/यूएलबी निकायों की कुल संख्या जहाँ चुनाव कराए गए हैं						
4.	ग्राम पंचायतों/यूएलबी निकायों के आगामी चुनावों की तिथि एवं वर्ष						
5.	प्राप्त बुनियादी अनुदान के विवरण:	वर्ष	किस्त	राशि (रु. लाख में)	प्राप्त करने की तिथि		
6.	हस्तांतरित बुनियादी अनुदान के विवरण:	वर्ष	किस्त	राशि (रु. लाख में)	हस्तांतरण की तिथि	विलंबित दिनों की सं.	यदि बिलंब हुआ, हस्तांतरित ब्याज की राशि (ब्याज दर के साथ)
7.	प्राप्त निष्पादन अनुदान के विवरण:	वर्ष के लिए प्राप्त अनुदान	राशि (रु. लाख में)	प्राप्त करने के तिथि			
8.	हस्तांतरित निष्पादन अनुदान के विवरण:	वर्ष	राशि (रु. लाख में)	हस्तांतरण की तिथि	बिलंब हुए दिनों की संख्या	यदि बिलंब हुआ, हस्तांतरित ब्याज की राशि (ब्याज की दर)	

** जो भी लागू न हो उसे काट दें। 2. आरएलबी एवं यूएलबी के लिए अलग पृष्ठों का प्रयोग करें।*
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि स्थानीय निकाय अनुदान, केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर निर्वाचित स्थानीय निकायों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

सचिव प्रभारी की मुहर सहित हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित:
वित्त सचिव की मुहर सहित हस्ताक्षर

(पंचायती राज/ शहरी विकास)

अनुलग्नक IV

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुवर्तन हेतु पंचायतों के लिए समिति

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार.... अध्यक्ष, भारत सरकार
2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
3. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय
4. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
5. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
6. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार
7. संयुक्त सचिव (पीएफ-आई), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय

राज्य सरकारें

8. पाँच राज्य सरकारों के पंचायती राज सचिव, प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक सचिव, दो वर्षों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा।

अन्य

9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिनिधि
10. महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर, हैदराबाद

नोट: अध्यक्ष समिति में किसी राज्य के पंचायती राज सचिवों को समिति में सहयोजित (co-opted) सदस्यों के अलावा, ऐसे विशेषज्ञों, जिन्हें समय-समय पर विशेष अतिथियों के रूप में आवश्यक समझा जाए, को शामिल कर सकता है।

अनुलग्नक V

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुवर्तन हेतु नगरपालिकाओं के लिए समिति

1. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, अध्यक्ष,
2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
3. सचिव, शहरी आवास एवं गरीबी उन्मूलन विभाग
4. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
5. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
6. वित्तीय सलाहकार, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
7. संयुक्त सचिव (पीएफ-आई), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय

राज्य सरकारें

8. पाँच राज्य सरकारों के शहरी विकास सचिव, प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक सचिव, दो वर्षों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा।

अन्य

9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिनिधि
10. महानिदेशक, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली

नोट: अध्यक्ष समिति में किसी राज्य के पंचायती राज सचिवों को समिति में सहयोजित (co-opted) सदस्यों के अलावा, ऐसे विशेषज्ञों, जिन्हें समय-समय पर विशेष अतिथियों के रूप में आवश्यक समझा जाए, को शामिल कर सकता है।

*****